विधि

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 91/2020
दायरा दिनांक :– 18.08.2020
निर्णय दिनांक :– 17.12.2021

उनवान

1. श्रीमती निशा पत्नी विनोद जाति महाजन निवासी तेलफैक्ट्री बारां तहसील बारां।

– वादिया

बनाम

1. देवेन्द्र सेन पुत्र नंदकिशोर
2. माया बाई सेन पुत्री नंदकिशोर पत्नी स्व. अजय कुमार
3. विरेन्द्र सेन पुत्र नंदकिशोर
4. रमेश कुमार पुत्र नंदकिशोर
5. गोपाल सेन पुत्र नंदकिशोर
6. हरिश सेन पुत्र नंदकिशोर
7. राजेन्द्र कुमार सेन पुत्र नंदकिशोर सेन (मृतक) नि. गोपालजी सेन का मकान नंदबिहारी कॉलोनी बाबजी नगर रोड बारां तह. बारां।

7/1 मंजू सेन पत्नी राजेन्द्र कुमार
7/2 कोमल सेन पुत्री राजेन्द्र कुमार
7/3 वंशिका सेन पुत्री राजेन्द्र कुमार सेन नि. बाबजी नगर रोड बारां जिला बारां।

8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111,116 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :- 17.12.2021

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्र सुमन एडवोकेट – वादी
2 श्री राजेन्द्र गोस्वामी एडवोकेट – प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,111,116 एल. आर. एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का बारां तहसील बारां में आराजी ख.नं. 462/421 की रकबा 0.16 है. स्थित है। जो वर्तमान में वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त आराजियात पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

कमला बाई पत्नी नंदकिशोर जाति नाई नि. राजपुरा वार्ड बारां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जिसका स्वर्गवास हो गया है प्रतिवादी कमांक 1 ता 7 मृतका कमला के वैध वारिसान व उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी कमांक 1 ता 7 की मृतक माता कमला द्वारा उक्त वर्णित आराजी ख.नं. 421/337 की रकबा 0.48 है. मे से 0.16 है. दक्षिणी पूर्वी भाग आराजी को जरिए रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21.08.2012 को वादीया को बैचान किया था। उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर वादीया के नाम इंतकाल दर्ज करते हुए बटा ख.नं. 462/421 रकबा 0.16 है. दक्षिणी–पूर्वी भाग पर राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया था। बाद विकय आराजी मौके पर प्रतिवादी कमांक 1 ता 7 की माता मृतक कमला द्वारा वादीया को दक्षिणी हिस्से पर कब्जा एवं दखल संभला दिया था तब से ही वादीया अपने खरीदशुदा दखिणी हिस्से पर काबिज ख्ली आ रही है। जिसके नक्शे में लाल लाईन रेखांकित किया गया है।

वादिया द्वारा उक्त कयशुदा आराजी का नक्शा ट्रेस लेने पर पटवारी हल्का द्वारा जानकारी हुई कि वीया के जमाबंदी में दर्ज ख.नं. 462/421 रकबा 0.16 है. को नक्शा ट्रेस में पश्चिमी हिस्से पर गलत दर्शाया गया है जबकि वादीया द्वारा कय आराजी दक्षिणी हिस्से में स्थित है जिस पर वादीया बाद कय निर्बाध रूप से काबिज चली आ रही है जिसे नक्शा ट्रेस में दुरस्त कर नक्शा ट्रेस में अंकित लाल लाईन दर्शायी गयी है। वादीया के द्वारा प्रतिवादी कमांक 1 ता 7 की मृतक माता कमला से खरीद की गयी आराजी का नक्शा ट्रेस तरमीम करते समय प्रतिवादी कमांक 8 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा विकय पत्र की अनदेखी करते हुए गलत नक्शा तरमीम कर नक्शे में पश्चिमी दिशा में गलत दर्ज कर दिया गया है। जबकि विकय पत्र व मौके पर कब्जे अनुसार वादीया दक्षिणी दिशा में काबिज है। इसलिए नक्शा ट्रेस में वादीया के नाम दर्ज भूमि को पश्चिमी हिस्से पर दर्शाया गया है जिसे दुरूस्त कर नक्शा ट्रेस में विकय पत्र व कब्जे अनुसार दक्षिणी हिस्से पर तरमीम करते हुए सही लाईन डिकार्केशन की जावे जिसे नक्शा ट्रेस में लाल लाईन अंकित किया हुआ है, इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना आवश्यक है। वादीया द्वारा नक्शा ट्रेस में दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी कमांक 8 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों से निवेदन किया किन्तु वादीया के निवेदन पर कोई ध्यान नही दिया गया तथा दिनाक 06.07.2020 को नक्शा दुरूस्त करने से स्पष्ट मना कर दिया इसलिए वाद कारण दिनांक 06.07.2020 को अंतिम बार उत्पन्न हुआ तथा वर्तमान में भी पैदा हो रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही करने पर दिनांक 10.08.2021 को जवाब बंद किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं. 95, नकल नामांतकरण सं. 463 ग्राम कल्याणपुरा, नकल जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं. 21 नकल नक्शा ट्रेस नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–75 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–75 नकल नक्शा ट्रेस नकल विकय पत्र तथा तहसीलदार बारां से मोके की रिपोर्ट ली गयी।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील बारां में स्थित है। प्रतिवादी कम 1 ता 7 की माता कमला बाई द्वारा ख.नं. 421/337 रकबा 0.48 है. में से 0.16 है. दक्षिण–पूर्वी भाग भूमि को जर्ये रजिस्टर विकय पत्र दिनांक 21.08.2012 से वादियां को बेचान किया था। विकय पत्र के आधार पर प्रार्थीया के नाम नामांतकरण खोलकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

गया। खरीद सुदा भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके नक्शे में लाल लाईन से रेखांकित किया गया है। नक्शा ट्रेस में दक्षिण पूर्वी के स्थान पर पश्चिमी हिस्से पर गलत दर्शाया गया है। जबकि वादियां की कय की गयी भूमि दक्षिणी हिस्से में स्थित है। प्रार्थीया उक्त गलत की गयी डिमार्केशन को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। वादियां के कब्जे अनुसार एवं दक्षिणी हिस्से पर तरमीम करते हुए सही लाईन डिमार्केशन की जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीयां सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कल्याणपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं. 95 के ख.नं. 462/421 रकबा 0.16 है. प्रार्थीया निशा पत्नी विनोद के खातेदारी में दर्ज है। नकल नामांतकरण सं. 463 ग्राम कल्याणपुरा के अनुसार खातेदार कमला ने अपने खाते की आराजी ख.नं. 421/337 रकबा 0.48 है. में से 0.16 है. भूमि दक्षिणी पूर्वी भाग केता निशा पत्नी विनोद महाजन को बेचान की गयी। जिसके आधार पर नामांतकरण दर्ज किया गया। इससे यह साबित होता है कि अप्रार्थीगण की मृतक माता कमला बाई द्वारा दक्षिणी हिस्से का बेचान किया गया था। परन्तु नक्शा ट्रेस में पश्चिमी हिस्से में तरमीम कर डिमार्केशन कर दिया गया है। तहसीलदार बारां से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार बारां द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि ग्राम कल्याणपुरा में आराजी ख.नं. 421/337 रकबा 0.48 है. भूमि अप्रार्थीगण की माता कमला बाई सेन ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22.10.2005 को भूली बाई पत्नी कन्हैयालाल छीपा से पूर्वी–दक्षिणी भाग कय किया था। जिसका नजरी नक्शा विकय पत्र में दर्ज हे। ख.नं. 421/337 रकबा 0.48 है. भूमि में से वादीयां निशा पत्नी विनोद महाजन द्वारा 0. 16 है. दक्षिणी पूर्वी जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21.08.2012 को कय की गयी थी तथा मौका स्थिति अनुसार दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर ही काबिज है। वर्तमान राजस्व नक्शे में ख.नं. 421/337 रकबा 0.48 है. भूमि की तरमीम पूर्वी दक्षिणी नही करके पश्चिमी दक्षिणी भाग में की गयी है। जिसके कारण प्रार्थीयां की भूमि 0.16 है. भूमि की तरमीम भी गलत की गयी है। रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरांत प्रार्थीया के हिस्से व खाते की भूमि 0.16 है. की तरमीम वर्तमान राजस्व नक्शे में दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट व रिकार्ड से यह साबित होता है कि प्रार्थीया द्वारा कय की गयी भूमि की तरमीम गलत की गयी है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील बारां की आराजी ख.नं. 462/421 रकबा 0.16 है. भूमि जो प्रार्थीया के द्वारा कय की गयी थी। विकय पत्र व प्रार्थीया के कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस में पश्चिमी हिस्से के स्थान पर दक्षिणी हिस्से पर लाईन डिमार्केशन नक्शे में लाल लाईन से करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner